



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239331
CG-DL-E-04102022-239331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4465]
No. 4465]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4673(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शनि, जिसकी जन्म की तारीख 3 सितम्बर, 1982 है, पुत्र मोहम्मद रफीक, निवासी ग्राम शंगामंगा, जिला कसूर, पाकिस्तान लश्कर-ए-तोइबा (एलईटी) / दि रेज़िस्टेन्स फ्रंट (टीआरएफ) से संबंधित है ;

और लश्कर-ए-तोइबा (एलईटी) को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 5 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और हबीबुल्लाह मलिक कश्मीरी युवाओं को कट्टर बनाने और उन्हें अपने नेटवर्क के माध्यम से उग्रवाद में भर्ती करने में सम्मिलित रहा है ;

और उक्त हबीबुल्लाह मलिक, उन आतंकवादियों का एक मुख्य हैंडलर है, जिन्होंने भाटा धूरियां, जिला पुंछ में भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया था ;

और उक्त हबीबुल्लाह मलिक जम्मू-कश्मीर आधारित आतंकवादियों के लिए जम्मू क्षेत्र में हथियारों और संचार प्रणालियों को ड्रोन के माध्यम से गिराने में सम्मिलित रहा है ;

और उक्त हबीबुल्लाह मलिक ने दुर्दांत आतंकवादियों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया है तथा जून, 2013 में हैदरपुरा, श्रीनगर में सेना के विरुद्ध आत्मघाती हमले और चडूरा, बडगाम में दिसम्बर, 2013 में स्टेशन हाउस अधिकारी को मारने सहित कश्मीर घाटी में बहुत से आतंकवादी हमलों में मास्टर माइंड रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शनि आतंकवाद में अन्तर्वलित है और उक्त हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शनि को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“42. हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शनि” ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4672(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4673(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Habibullah Malik @ Sajid Jutt @ Saifullah @ Noomi @ Numan @ Langda @ Ali Sajid @ Usman Habib @Shani having date of birth on the 3rd September, 1982, son of Muhammad Rafique, resident of Village- Shangamanga, District Kasur, Pakistan is associated with Lashkar-e-Taiba(LeT)/ The Resistance Front(TRF);

And whereas, Lashkar-e-Taiba (LeT) is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 5;

And whereas, the said Habibullah Malik has been involved in radicalizing Kashmiri youths and recruiting them into militancy through his network;

And whereas, the said Habibullah Malik is the key handler of terrorists who carried out attack on Indian Soldiers in Bhatta Dhurian, District Poonch;

And whereas, the said Habibullah Malik has been involved in drone dropping of arms and communication systems in Jammu region for Jammu and Kashmir based terrorists;

And whereas, the said Habibullah Malik has created a wide network of hardcore militants and has been master minding multiple terrorist attacks in the Kashmir valley including fidayeen attack against army at Hyderpora, Srinagar in June, 2013 and killing of Station House Officer Chadoora, Budgamm in December, 2013;

And whereas, the Central Government believes that Habibullah Malik @ SajidJutt @ Saifullah @ Noomi @ Numan @ Langda @ Ali Sajid @ Usman Habib @Shani is involved in terrorism and the said Habibullah Malik @ SajidJutt @ Saifullah @ Noomi @ Numan @ Langda @ Ali Sajid @ Usman Habib @Shani is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 41 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“42. Habibullah Malik @Sajid Jutt @Saifullah @ Noomi @ Numan @ Langda @ Ali Sajid @ Usman Habib @Shani”.

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4672 (E), dated the 4th October, 2022.